

फा.सं. 7/20/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 10 नवम्बर 2023

शुद्धि-पत्र अधिसूचना

मामला सं. एडी (एसएसआर) - 08/2023

विषय: चीन जन. गण., जापान, कोरिया गण., वियतनाम और ताइवान से उत्पन्न या निर्यात किए गए "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (डीओपीपी) के आयात के संबंध में निर्णायक पाटन रोधी जांच की शुरुआत ।

फा.सं. 7/20/2023-डीजीटीआर - समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपरोक्त निर्णायक पाटनरोधी समीक्षा जांच के संबंध में दिनांक 30.09.2023 को जाँच शुरुआत अधिसूचना संख्या 7/20/2023-डीजीटीआर जारी की है।

उपर्युक्त जाँच शुरुआत अधिसूचना के अनुच्छेद 4 को प्रतिस्थापित किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4. उक्त सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 29.07.2020 की सीमा शुल्क संख्या 21/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत संबंधित देशों में उत्पन्न या निर्यात किए गए विषय वस्तुओं के आयात पर निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क 29.01.2025 तक लागू है।



(अनन्त स्वरूप)

निर्दिष्ट प्राधिकारी